न्यायालयः श्री मनीष कुमार पाण्डेय **Page 1 of 1.** **स्वत्व वाद सं0-08/18**
अवर न्यायाधीश **सीआईएस संख्या -1259/18**
अरेराज, पूर्वी चम्पारण। **आदेश** **दिनांक 29.2.2024**

दिनांकः 29.02.2024 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामला वादी की तरफ दिनांक 03.08.2023 को आदेश 22 नियम 4 तथा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता में प्रस्तुत आवेदन के आदेश हेतु निर्धारित है।

वादी ने अपने आवेदन में कहा है कि प्रतिवादी न0 07 जैतुन नेशा दिनांक 20.05.2023 को अपने दो पुत्रों जहीर मियां वो सबीर मियां को छोड़कर वफात कर गये। यह कि न्यायहित में प्रतिवादी सं0 7 का नाम प्रतिवादी खाने से कलमजद कर उनके वारिसान का नाम प्रतिवादी खाने में जोड़ना अतिआवश्यक है। यह कि प्रतिवादी सं 7 जौतुन नेशा का नाम कलमजद कर उनके वारिसानों का नाम 7क जहीर मियां वल्द जलील मियां, 7ख सबीर मियां वल्द जलील मियां साकिन सेवराहां थाना हरसिद्धि जिला पूर्वी चम्पारण वारिसों का प्रतिस्थापन आवश्यक है अतः आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा करें।

प्रतिवादी की तरफ से आवेदन का मौखिक विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना, मामले में अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद 6 वर्ष पुराना है वादी के आवेदन के अनुसार प्रतिवादी न0 07 जैतुन नेशा दिनांक 20.05.2023 को अपने दो पुत्रों जहीर मियां वो सबीर मियां को छोड़कर वफात कर गये। यह कि न्यायहित में प्रतिवादी सं0 7 का नाम प्रतिवादी खाने से कलमजद कर उनके वारिसान का नाम प्रतिवादी खाने में जोड़ना अतिआवश्यक है। यह कि प्रतिवादी सं 7 जौतुन नेशा का नाम कलमजद कर उनके वारिसानों का नाम 7क जहीर मियां वल्द जलील मियां, 7ख सबीर मियां वल्द जलील मियां साकिन सेवराहां थाना हरसिद्धि जिला पूर्वी चम्पारण को प्रस्तुत आवेदन **स्वीकृत** करते हुए न्यायालय आदेश देती है कि प्रतिवादी का नाम कलमजद करते हुए कार्यालय प्रस्थापित करें। एतद द्वारा यह आवेदन का निपटारा किया जाता है। वाद दिनांक ....वास्ते अग्रिम कार्रवाई ।

स्थानः अरेराज
पूर्वी चम्पारण।

लेखापित व संशोधित

मनीष कुमार पाण्डेय
अवर न्यायाधीश
अरेराज,पूर्वी चम्पारण।